# न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी बज्जू

पीठासीन अधिकारी:– सांवरमल रैगर आर.ए.एस.

दावा पत्र संख्या:– 60/2025

रामेश्वर लाल पुत्र अखाराम जाति जाट साकिन मुण्डसर तहसील व जिला बीकानेर।

.................वादी

**बनाम**

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू. अ. बज्जू

..........प्रतिवादी

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**
**सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थित अभिभाषक:

1. श्री प्रेमरतन बिश्नोई वकील प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज राज्य की और से।

**–: निर्णय :–**

दिनांक :– 30.12.2025

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत खाता दुरुस्ती हेतु वादी श्री रामेश्वर लाल पुत्र अखाराम जाति जाट साकिन मुण्डसर तहसील व जिला बीकानेर द्वारा पेश किया। प्रकरण में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा सन् 1983 में तत्कालीन आवंटन अधिकारी एसीसी छत्तरगढ़ के समक्ष भूमिहीन श्रेणी में भूमि आवंटन हेतु आवेदन करने पर वादी को दिनांक 05.07.1984 को चक 14 आरडीवाई के मुरबा नं 160/57 व मुरबा नं 160/58 में पात्रतानुसार 36.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया, जिसका आवंटन आदेश वादी के हक में दिनांक 05.07.1984 को जरिये मिसल संख्या 1383/83 के तहत जारी किया गया, जो कि वादी को डिस्पेच होकर दिनांक 05.07.1984 को प्राप्त हुआ। वादी को चक 14 आरडीवाई के मुरबा नं 160/57 व 160/58 का भूमिहीन श्रेणी का मिसल संख्या 1383/83 का आवंटन आदेश जारी होने पर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आवंटन आदेश का अंकन करवा लिया गया तथा मौके पर उक्त आवंटित भूमि का कब्जा भी प्राप्त कर लिया गया। वादी के अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश का होने से वादी को तत्समय उक्त आवंटन आदेश में अपने नाम के सही व गलत की जानकारी नहीं हो सकी। वादी को उसकी आवंटित भूमि उसके घरू नाम रामलाल के नाम से आवंटित होकर दर्ज रिकॉर्ड होने से वर्तमान में प्रार्थी को अपने सही व वास्तविक नाम रामेश्वर लाल पुत्र अखाराम के नाम से आवंटित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती होकर अंकन नहीं होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वादी राज्य सरकार की जन उपयोगी व कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। चूंकि वादी द्वारा अपना घरू नाम रामलाल के स्थान पर अपने सही व वास्तविक नाम के दस्तावेज तैयार कर लिये हैं तथा वर्तमान में वादी के सभी दस्तावेज उसके सही व वास्तविक नाम रामेश्वर लाल पुत्र अखाराम जाट साकिन मूण्डसर के नाम से ही बने हैं। वादी राजस्व रिकॉर्ड में अपना सही व वास्तविक नाम रामेश्वर लाल पुत्र अखाराम जाति जाट दुरूस्त करवाने का मुश्तहक है, जिस हेतु यह दावा है।

सर्वप्रथम दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकाराज ने अपने जवाब में दुरूस्ती पर कोई आपत्ति नहीं की व अपनी तरफ से सहमति प्रदान की गई। वादी द्वारा बतौर साक्ष्य/सबूत के रूप में आवंटन आदेश, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, शपथ पत्र, प्राचार्य राउमावि मूण्डसर जिला बीकानेर द्वारा जारी प्रमाण आदि की प्रतियां प्रस्तुत की।

अतः पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 14 आरडीवाई के मुरबा नं 160/57 व मुरबा नं 160/58 में पात्रतानुसार 36.00 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि में वादी का नाम रामलाल के स्थान पर रामेश्वर लाल पुत्र अखाराम जाति जाट दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तददानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर उपरोक्तानुसार रिकॉर्ड में अंकन करे। तहसीलदार भू.अ. बज्जू को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सांवरमल रैगर)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू

उपखण्ड अधिकारी बज्जू जिला–बीकानेर

क्रमांक :–

दिनांक:–

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व बज्जू को पालनार्थ प्रेषित है।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी बज्जू

**डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई**
**(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)**

**अज अदालत सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम बज्जू**
बइजलासः– सांवरमल रैगर, आर.ए.एस.

रामेश्वर लाल बनाम स्टेट

दावा बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

मुकदमा न. 60 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी पैरोकारराज उपस्थित मिनजानिब मुदई उपस्थित मुदायलाह उपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाद–वादी स्वीकार किया जाता है विवादित भूमि तहसील बज्जू के चक 14 आरडीवाई के मुरबा नं 160/57 व मुरबा नं 160/58 में पात्रतानुसार 36.00 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि में वादी का नाम रामलाल के स्थान पर रामेश्वर लाल पुत्र अखाराम जाति जाट राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है।

चीज.........................................मुबालिग.................................बाबत्..........................................
खर्चा इस मुकदमे में मय सूद व शरह...................................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......................................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.12.2025 को जारी की गई

मुहर

दस्तखत.........................................
उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला–बीकानेर
ओहदा.........................................

| मुदई | रूपया | पैसा | मुदायलाह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>मेहनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमीश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक | | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>मेहनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमीश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक | | |

डिक्री की पालनार्थ तहसीलदार राजस्व बज्जू को प्रेषित है।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी बज्जू
उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला–बीकानेर